भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2871

(जिसका उत्तर गुरुवार, 14 मार्च, 2013/23 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

चिट फंड कंपनियां

2871. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

श्री संजय भोई :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्री ए. साई प्रताप :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अवैध चिट फंड और पोंजी स्कीम कंपनियां कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घोटाले, धोखा और निवेशकों को परिपक्वता पर भुगतान न देने के संबंध में इन अवैध कंपनियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त की हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन कंपनियों द्वारा छोटे निवेशकों के हितों को संरक्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर किसी तंत्र को विकसित करने के लिए उपाय करेगी;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये उपाय कब तक प्रभावी होंगे;

(च) क्या सरकार चिट फंड पांजी स्कीम की बुराई से निपटने के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को सांविधिक मान्यता प्रदान करने के लिए कंपनी बिल लाएगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख) : विभिन्न छद्मरूपों में निवेशक जमा संग्रह की जालसाज योजनाएं (जिसे पोंजी योजना भी कहा जाता है) लाने वाली कंपनियों पर निम्नलिखित विधियों के तहत कार्रवाई की जाती है:-

(i) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) द्वारा प्रशासित इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से; तथा

.....2/-

(ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 की धारा 11कक के तहत जहां ये योजनाएं सेबी द्वारा विनियमित सामूहिक निवेश योजनाओं का उल्लंघन हों।

(ग): उन 87 कंपनियों के संबंध में जांच/निरीक्षण का आदेश दिया गया है जिनके विरूद्ध ऐसे मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) और (ड.) : कारपोरेट कार्य मंत्री ने इनामी चिट अधिनियम के तहत राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई हेतु अनुदेश जारी करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है। अप्राधिकृत एनबीएफसी पर आरबीआई द्वारा निगरानी बढ़ाने हेतु माननीय वित्त मंत्री को भी पत्र लिखा गया है। वित्त मंत्रालय ने इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के तहत मॉडल नियम अधिसूचना हेतु राज्य सरकारों को भेजे हैं। इससे पोंजी योजनाओं के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी।

(च) और (छ) : कंपनी विधेयक, 2012 में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को सांविधिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव है। यह विधेयक लोक सभा द्वारा दिनांक 18.12.2012 को पारित किया गया है और राज्य सभा में विचाराधीन है।

*****